BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्ता श्रीमती रजनी पत्नी शैलेन्द्र निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अपने पति शैलेन्द्र पुत्र तेज सिंह की गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.06.2019 को थाना अरनिया पर मुअसं- 123/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 13.08.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.12.2024 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता रजनी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर